



कार्यालय-आदेश

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 3110 दिनांक 26.2.2023, पत्रांक 248 दिनांक 27.01.2024 एवं पत्रांक 618 दिनांक 04.03.2024 के माध्यम से पूर्व में ई-संवर्द्धन पोर्टल पर पंजीकरण करने हेतु सभी संबंधता अप्राप्त निजी विद्यालय को निदेश दिया जा चुका था। परन्तु अद्यावधि तक अधिकांश निजी विद्यालय बिना संबंधता प्राप्त किए संचालित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिनियम 2009 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के आलोक में निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा (शिक्षा विभाग), बिहार पटना द्वारा अधिसूचना जारी की गयी थी कि वैसे निजी विद्यालय जिन्होंने संबंधता प्राप्त नहीं किया है। वैसे निजी विद्यालयों का संचालन दिनांक 31.12.2023 के बाद नहीं होगा। साथ ही उक्त अवधि के बाद विद्यालय संचालन करना विधि सम्मत नहीं है एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है।

उक्त आदेश के अनुपालन में वैशाली जिलान्तर्गत वैसे सभी निजी विद्यालय जो बिना संबंधता प्राप्त किए संचालित किए जा रहे हैं। वैसे सभी निजी विद्यालय के संचालन को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से प्रतिबंधित किया जाता है। उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की धारा 19 (05) के तहत प्रथम अपराध के लिए 100000/-रु0 साथ ही प्रत्येक दिन 10,000/-रु0 की दर से दण्ड राशि लगायी जाएगी।

(R) 31-03-24

(कुमार शशि रंजन)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा, वैशाली

ज्ञापांक 930 / हाजीपुर, दिनांक 31/3/24

प्रतिलिपि: सभी प्रार्चाय/अध्यक्ष/सचिव, निजी विद्यालय जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

(R) 31-03-24

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा, वैशाली

W
31/3/24